

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

प्रकरण शीर्षक:

लड़कियों और महिलाओं की गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा

जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

03.12.2024

रिपोर्टेबल

न्यायालय द्वारा:

1. मनुस्मृति का श्लोक 3.56 कहता है:-

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया”

(अर्थात: जहाँ स्त्रियों को उचित सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता भी निवास करना पसंद करते हैं।)

2. गरिमा और शालीनता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक महिला के साथ सम्मान और आदर का व्यवहार किया जाए। यह अधिकार महिलाओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या हिंसा से बचाता है जो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाती है। ऐसा वातावरण बनाना ज़रूरी है जहाँ महिलाएँ भेदभाव और अपमान के डर के बिना रह सकें और काम कर सकें।

3. प्रत्येक महिला को किसी भी प्रकार के भय, बल, हिंसा और भेदभाव से मुक्त होकर सम्मान, समानता और शालीनता का जीवन जीना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, महिलाओं सहित प्रत्येक नागरिक को जीवन और सम्मान का अधिकार प्राप्त है।

4. महिलाएँ किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र की रीढ़ होती हैं। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, गृह्यसूत्र, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, स्मृति और पुराण जैसे प्राचीन साहित्य में महिलाओं को अत्यंत सम्मान और निष्ठा का स्थान दिया गया है। प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य इस बात पर ज़ोर देते हैं कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। भारत के दीर्घकालिक इतिहास में, महिलाओं ने हमेशा मानव जाति के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. वैश्वीकरण के इस दौर में, जब सभ्यता 21वीं सदी में पहुँच चुकी है और महिलाओं की स्थिति अभी भी पितृसत्तात्मक समाज द्वारा परिभाषित की जा रही है, महिलाएँ अभी भी संघर्ष कर रही हैं और समाज में अपना स्थान पाने की कोशिश कर रही हैं। आधुनिक समय में भी, महिलाओं को रोज़ाना कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें खराब स्वास्थ्य, शौचालयों की कमी और सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर अस्वच्छ वातावरण शामिल हैं।

6. अनेक योजनाएं होने के बावजूद, केन्द्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और सड़कों पर चलने वाली तथा अपने कार्यस्थलों पर काम करने वाली महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही हैं।

7. महिलाओं के लिए शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव, जो कि एक बुनियादी आवश्यकता है, महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

8. महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा का अभाव या जहां शौचालय हैं, लेकिन उनमें सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य की कमी के कारण, महिलाएं तब तक पेशाब को टालती रहती हैं जब तक कि उन्हें साफ सार्वजनिक शौचालय नहीं मिल जाता या वे घर नहीं पहुंच जातीं। दरअसल, कई बार महिलाएं बाहर निकलने के लिए पानी भी नहीं पीतीं, इस डर से कि उन्हें साफ और सुरक्षित शौचालय नहीं मिलेगा। चिकित्सा विज्ञान ने दिखाया है कि मूत्र मार्ग में संक्रमण, मूत्राशय के फूलने की समस्या और कई अन्य मूत्र-स्त्री रोग संबंधी समस्याएं पेशाब को टालने का परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, अगर महिलाओं के घर से बाहर होने पर सैनिटरी नैपकिन/टैम्पोन बदलने के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं हैं, तो आंतरिक सैनिटरी सुरक्षा से विषाक्त आघात की संभावना बढ़ जाती है। मूत्राशय को नियंत्रित करने के दीर्घकालिक प्रभाव एक ऐसा विषय है जिसे दुनिया भर में चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त है।

9. यह ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्दे के संबंध में दुनिया भर में विभिन्न अध्ययन और अनुसंधान किए गए हैं और सभी ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता पर जोर दिया है। शौचालयों के संबंध में सड़कों पर चलने वाली महिलाओं को होने वाली समस्याएँ सार्वभौमिक हैं। महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक शौचालय उपयोगकर्ता के अनुकूल, टिकाऊ, सुरक्षित, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों/विकलांगों के अनुकूल होने चाहिए। शौचालय की समस्या सभी 'उपयोगकर्ताओं' को प्रभावित करती है, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को, जो आबादी का लगभग 50% हिस्सा हैं। सामान्य तौर पर पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में दोगुना प्रावधान है, क्योंकि उनके पास मूत्रालय, अलमारी और कुल मिलाकर अधिक संख्या में पुरुष शौचालय हैं। महिलाओं के लिए शौचालय जाने की आवश्यकता अधिक है और इसके कई कारण हैं, मुख्यतः जैविक अंतर के कारण। दिन में जब महिलाएं काम के सिलसिले में, खरीदारी के लिए, या अन्य ज़रूरी कामों के लिए सड़कों पर होती हैं, तो घर से बाहर होने पर उन्हें शौचालय/रेस्ट रूम/टॉयलेट जाने के लिए सुविधाजनक जगह नहीं मिल पाती। सड़क पर चलने वाली महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएँ लगभग नगण्य हैं और महिला आबादी के हिसाब से मौजूदा सुविधाओं के अनुपात में बिल्कुल भी नहीं हैं।

न केवल बुनियादी ढाँचे/सुविधाओं का अभाव है, बल्कि जो उपलब्ध हैं, वे भी संतोषजनक नहीं हैं। दरअसल, वे घटिया स्तर की हैं। शौचालयों की समस्याएँ अनुपयुक्त स्थानों, खराब डिज़ाइन, मौजूदा सुविधाओं के खराब रखरखाव और प्रबंधन, शौचालय परिचारकों, पानी, बिजली, सुरक्षा, सफाई और स्वच्छता आदि की कमी के कारण और भी गंभीर हो जाती हैं। सीमित खुलने का समय, असमान वितरण और सुविधाओं के अनुचित स्थान के कारण लोग कहते हैं कि "जब आपको ज़रूरत हो, तब सार्वजनिक शौचालय कभी नहीं मिलता"। इसके अलावा, कई सांस्कृतिक, व्यावहारिक और सुरक्षा कारणों से, महिलाओं के पुरुषों की तुलना में अनजान जगहों पर शौचालय का इस्तेमाल करने जाने की संभावना कम होती है। कामकाजी महिलाएं अक्सर बच्चों की देखभाल और घर के कामकाज को घर के बाहर के काम के साथ मिला देती हैं। इसके परिणामस्वरूप यात्रा के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई महिलाओं के लिए 'काम पर जाने का सफर' एक ही जगह की यात्रा नहीं होती, बल्कि इसमें 'कई पड़ाव' शामिल हो सकते हैं क्योंकि वे घर से बच्चों को छोड़ने के लिए चाइल्डकैअर सेंटर या स्कूल जाती हैं, फिर ऑफिस जाती हैं और वापसी में चाइल्डकैअर सेंटर/स्कूल/दुकानों से घर लौटती हैं। कुछ महिलाएं अपनी नौकरी के सिलसिले में फील्ड वर्क के लिए, किसी पार्क/सैरगाह में टहलने जाती हैं; कुछ महिलाएं अपने दैनिक कामों के लिए बाजार जाती हैं, कुछ महिलाएं बच्चों को खेल के मैदान/पार्क ले जाती हैं, कुछ महिलाएं बस/ट्रेन से यात्रा करती हैं, आदि। आम तौर पर महिलाओं को शौचालयों की ज़रूरत होती है, खासकर अलग-अलग जगहों पर, जहाँ अक्सर लोग आते-जाते हैं।

10. स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय समाज के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करते हैं। सड़क पर चलने वाली महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालयों की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। मासिक धर्म के दौरान, महिलाओं के लिए शौचालय/वांशरूम/रेस्टरूम की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है, जब यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि सैनिटरी नैपकिन (टैम्पोन या पैड) बदलने का समय कब होगा, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार शौचालय जाना पड़ता है। इसके अलावा, महिलाएँ

अक्सर बुजुर्गों, विकलांगों, बीमारों और बच्चों की प्राथमिक देखभाल करती हैं, जिसके कारण उन्हें बार-बार शौचालय जाना पड़ सकता है।

11. यह न्यायालय दुःख के साथ यह नोट कर सकता है कि जो कुछ प्रदान करना राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों का कर्तव्य है, वह प्रदान नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप समाचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' के जयपुर संस्करण में 27.11.2024 को "टॉयलेट जाने के डर से कामकाजी महिलाएं काम पर रही पानी" शीर्षक से निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ है।



टॉयलेट एक शर्म कथा : घर से बाहर या फील्ड पर पानी पीने से परहेज टॉयलेट जाने के डर से कामकाजी महिलाएं कम पी रहीं पानी

घर-घर शौचालय अभियान मगर 2.24 लाख महिलाकर्मियों के हिस्से सिर्फ संकोच शैलेंद्र अग्रवाल patrika.com

जयपुर. घर-घर टॉयलेट का जबरदस्त अभियान चल रहा है, लेकिन प्रदेश में अधिकतर दफ्तरी-खानों-स्कूलों में कामकाजी महिलाएं टॉयलेट की कमी या फिर अत्यवस्थाओं से शर्मसार हो रही हैं। देश-दुनिया के कई अध्ययन कहते हैं कि घरेलू या कामकाजी महिलाएं जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो पानी नहीं पीती। उन्हें डर रहता है कि अगर लघुशुशुका आ गई तो मुश्किल होगी... कहा जाये? यह बात सिर्फ सच की नहीं हमारे आपके घर की भी है।

मैडिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित एक खबर में साफ है कि बच्चे पैदा करने के बाद या फिर बढ़ती उम्र में महिलाओं को लघुशुशुका ज्यादा आती है और उन्हें रोकने में भी दिक्कत होती है। बात अगर प्रदेश की करें तो यहां करीब 56 हजार सरकारी कार्यालयों में 10 लाख अधिकारी-कर्मचारी हैं।

पढ़ें टॉयलेट @ पेज 17

इधर, बीकानेर में शुरू पिंक बस शौचालय



बीकानेर. बीकानेर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है, जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा शुरू की गई है। निगम की ओर से चार बसें तैयार हैं, इनमें से दो बसें मंगलवार से शहर में शुरू हो गई हैं। फोटो नीशाद अली

सरकारी दफ्तरों के ये हाल

■ **जयपुर शिक्षा संकुल** : 500 से अधिक महिला अधिकारी-कर्मचारी हैं। महिला टॉयलेट की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक महिला अधिकारी ने कहा कि शौचालय गंदे रहने से संक्रमण का खतरा रहता है। यहां रेस्ट रूम, क्रेच, कॉमन रूम की सुविधा नहीं है।

■ **बीकानेर शिक्षा निदेशालय** : 125 महिला अधिकारी-कर्मचारी हैं। टॉयलेट की समस्या, महिला, रेस्ट रूम नहीं।

■ **झालावाड़** : पांच हजार महिला कर्मचारी। ज्यादातर जगह कॉमन रूम और रेस्ट रूम नहीं।

■ **कोटा** : 180 अधिकारी और 4500 महिला कर्मचारी हैं। रेस्ट रूम, क्रेच व कॉमन रूम नहीं हैं। इनके अलावा जिले में करीब 200 विद्यालयों व कार्यालयों में शौचालय भी बंद हैं।

■ **सीकर जिला कलक्ट्रेट** : 100 अधिकारी व 20 कर्मचारी महिलाएं हैं। कॉमन रूम, रेस्टरूम नहीं हैं। क्रेच फिलहाल बंद।

■ **जोधपुर नगर निगम** : नगर निगम उत्तर- मेयर तथा 14 अन्य अधिकारी-कर्मचारी महिलाएं हैं। दक्षिण में मेयर तथा 17 अधिकारी-कर्मचारी महिलाएं हैं। यहां क्रेच, रेस्ट रूम, कॉमन रूम नहीं।

■ **नागौर जिला कलक्ट्रेट** : डेढ़ दर्जन अधिकारी व 123 महिला कर्मचारी हैं। शौचालय पर्याप्त नहीं। रेस्ट रूम व क्रेच भी नहीं।

■ **जयपुर जिला न्यायालय परिसर** : बहुमंजिला इमारत में क्रेच है, कई मंजिलों से बंद है।

पिछले दिनों शिक्षा विभाग से जुड़ी तीन महिलाओं के मामले आए। कम पानी पीने से उन्हें किडनी स्टोन और सूखे संक्रमण था। यही हाल देश की 40 फीसदी महिलाओं का है। - डॉ. आलोक जैन, नेफ्रोलॉजिस्ट

यहां भी छलका टॉयलेट का दर्द

टॉयलेट पर धर्या करती ही सचिवालय में कार्यरत महिला अधिकारियों का बर्तन छलका उठा। कहा, जब वे फील्ड विजिट पर जाती हैं तो पानी पीने से परहेज करती हैं, डर रहता है कि लघुशुशुका आई तो कहाँ जाएंगी? स्वयं राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज गिस्ती ने भी ऐसा अनुभव साझा किया। बानों में कई जगह स्थिति यह है कि महिला-पुरुष कमी दोनों के लिए कॉमन टॉयलेट है। क्रेच कुछ दफ्तरों में हैं, जो भी कई जगह बंद हैं।

महिलाओं व बालिकाओं के लिए सुविधाओं को लेकर समस्या है। कमेटी के लिए भी यह चिंता का विषय है। सीएम को ध्यान दिलाया जाएगा। -शोभा चौहान, सभापति, महिला कल्याण समिति

शौचालय जाने की ज़रूरत पूरी तरह से स्वाभाविक है, ताकि शरीर उन सभी अतिरिक्त और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल सके जिनकी उसे ज़रूरत नहीं है। एक औसत मूत्राशय में दो कप से ज्यादा मूत्र/तरल पदार्थ समा सकता है और लंबे समय तक मूत्राशय को रोके रखने से मूत्राशय में खिंचाव आ सकता है। चिकित्सकीय रूप से, मूत्राशय में मौजूद स्वचालित प्रतिक्रिया तंत्र मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है जब वह भर जाता है, जिसके बाद व्यक्ति को नज़दीकी शौचालय जाने की आवश्यकता होती है। अगर शौचालय न होने के कारण किसी महिला को शौचालय जाने से रोका जाता है, तो शरीर यह जानने की क्षमता खो देता है कि शौचालय जाने का समय कब है। इसके अलावा, शौचालय न जाने और मूत्राशय को नियंत्रित न करने के परिणामस्वरूप मूत्रमार्ग में संक्रमण, गुर्दे की पथरी, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और मूत्राशय में सूजन हो सकती है। तरल पदार्थों का सेवन मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे गुर्दे साफ़ होते हैं और इसलिए, नियमित रूप से मूत्र त्याग करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शरीर में कोई भी अवशेष, जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, न रह जाए, जिससे कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

12. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ), जिसका भारत एक सदस्य है, उम्र, लिंग, सामाजिक-आर्थिक/जातीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मानव स्वास्थ्य को सबसे बुनियादी और आवश्यक संपत्ति मानता है। डब्ल्यू एच ओ के संविधान की प्रस्तावना में स्वास्थ्य को "पूर्ण, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति" के रूप में। प्रस्तावना में आगे कहा गया है कि "जाति, धर्म, राजनीतिक विश्वास, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के भेद के बिना, स्वास्थ्य के सर्वोच्च प्राप्य मानक का आनंद प्रत्येक मनुष्य के मौलिक अधिकारों में से एक है"। 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार की गारंटी देती है (अनुच्छेद 25)। 1966 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (अनुच्छेद 12) में स्वास्थ्य के अधिकार को फिर से मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत

विश्व शौचालय संगठन का सदस्य भी है, जिसकी स्थापना शौचालयों से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ने, स्वच्छता संकट का समाधान करने और दुनिया भर में शौचालयों में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। 2001 से, यह संगठन सरकारों, सार्वजनिक और निजी हितधारकों आदि के साथ मिलकर विकास के एजेंडे में स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए प्रयासरत है। स्वास्थ्य का अधिकार सभी राज्यों के लिए प्रासंगिक है। भारत ने स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि की पुष्टि की है। इस प्रकार, स्वास्थ्य का अधिकार एक समावेशी अधिकार है और स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों में अन्य बातों के अलावा पर्याप्त स्वच्छता भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार को केवल पशु अस्तित्व तक सीमित नहीं किया जा सकता और इसका अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक है। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसमें बुनियादी आवश्यकताएं भी शामिल हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य पर अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का सर्वोपरि कर्तव्य डालता है। इसी प्रकार, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (संक्षेप में '2009 का अधिनियम') के अंतर्गत नगर निगमों/परिषदों/बोर्डों पर भी वैधानिक कर्तव्य/दायित्व आरोपित किए गए हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने इन प्रावधानों के माध्यम से, राज्य सरकारों और नगर निगमों द्वारा सम्मानजनक मानव जीवन के मौलिक अधिकार की पूर्ति हेतु किए जाने वाले लगभग सभी कार्यों पर विचार किया है। सार्वजनिक शौचालय एक साधारण और बुनियादी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ हैं, जो शहरों को रहने योग्य बनाने के लिए किसी भी बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना जितनी ही महत्वपूर्ण हैं।

13. महिलाओं को सभी सुविधाजनक स्थानों पर सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय का अधिकार है, जो एक तरह से उनके मानवीय सम्मान के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित करता है। राज्य और निगमों का एक सर्वोच्च कर्तव्य महिलाओं के लिए सभी सुविधाजनक स्थानों पर शौचालय उपलब्ध कराकर जन स्वास्थ्य में सुधार करना है।

सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाली महिलाओं के लिए शौचालयों की कमी उपरोक्त समाचार से स्पष्ट होती है।

14. स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, यह न्यायालय समाचार पत्र की रिपोर्ट को स्वप्रेरित रिट याचिका के रूप में मानता है और रजिस्ट्री को निर्देश देता है कि वह राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पत्र की रिपोर्ट को एक जनहित याचिका के रूप में माने, जिसका शीर्षक है:-

स्वप्रेरित : बालिकाओं और महिलाओं की गरिमा, सम्मान एवं आदर के संबंध में।

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. भारत सरकार, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
3. राजस्थान राज्य अपने मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
4. नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अपने प्रमुख सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

15. प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें कि उन्हें निम्नलिखित निर्देश क्यों न जारी किए जाएं:-

(i) सभी नगर निगम/परिषदें/बोर्ड सड़कों पर चलने वाली महिलाओं, कार्यस्थलों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय/मूत्रालय/ शौचालय/प्राइवेट के निर्माण हेतु एक व्यापक योजना तैयार करेंगे। प्रतिवादी, आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति (जिसे आगे "समिति" कहा जाएगा) का गठन करेंगे और उक्त समिति में संबंधित नगर निगम अधिकारी, जैसे नगर

अभियंता, स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अधिकारी, महिला एवं बाल विभाग के प्रभारी अधिकारी, स्थायी समिति की अध्यक्ष, उक्त क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों से संबंधित महिला प्रतिनिधि और कुछ महिला नगर पार्षद शामिल होंगी।

(ii) सभी निगम उपर्युक्त समिति का गठन करेंगे। समिति शौचालयों के निर्माण के लिए स्थान की पहचान से लेकर एक व्यापक योजना तैयार करेगी, जिसमें शौचालयों का प्रबंधन और रखरखाव शामिल होगा। महिला जनसंख्या के अनुपात के आधार पर शौचालयों की संख्या निर्धारित करने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। जोर सही स्थानों पर उचित सुविधाएँ प्रदान करने पर होना चाहिए जहाँ उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। योजना में शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी का प्रावधान हो सकता है। योजना में सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क के भुगतान का प्रावधान हो सकता है।

(iii) इस प्रकार गठित समिति सर्वेक्षण करने के बाद, सड़कों पर चलने वाली महिलाओं के लिए ऐसे शौचालयों के निर्माण हेतु स्थानों की पहचान करेगी, जैसे उद्यान, बस स्टॉप, रिक्शा/टैक्सी स्टैंड, भीड़-भाड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, सरकारी/नगरपालिका कार्यालय आदि। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुना गया स्थान व्यावहारिक, सुलभ, व्यवहार्य और सुरक्षित है। आदर्श रूप से, ये सुविधाएँ मुख्य सड़कों के किनारे, जिन्हें इस प्रकार पहचाना गया है, उपलब्ध कराई जाएँगी। हालाँकि, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसमें उपलब्धता और अन्य प्रासंगिक कारक शामिल होंगे। स्थानीय स्थिति के आधार पर ई-शौचालय उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(iv) समिति, शौचालयों के निर्माण के स्थान को ध्यान में रखते हुए, शौचालयों के डिज़ाइन के लिए कदम उठाएगी। समिति को यह ध्यान रखना होगा कि चुने गए स्थान पर नियमित बिजली आपूर्ति हो, दिन के समय पर्याप्त रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और वह सुरक्षित हो। शौचालयों का डिज़ाइन बनाते समय, उनकी सुंदरता और साफ़-सुथरी पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि ये शौचालय प्रमुख स्थानों पर स्थित होंगे।

(v) निगम जहां तक संभव हो सकेगा, बिजली की लागत कम करने के लिए सौर पैनल लगाने का प्रयास करेगा तथा पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

(vi) शौचालयों का डिज़ाइन तैयार करते समय यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं की गोपनीयता, सुरक्षा और संरक्षा से समझौता किए बिना उचित वेंटिलेशन और अधिमानतः प्राकृतिक प्रकाश हो।

(vii) नये शौचालय एक अलग इकाई होंगे, जिनका प्रवेश द्वार अलग होगा तथा अधिमानतः पुरुष शौचालयों से कुछ दूरी पर होंगे।

(viii) ऐसे सभी शौचालयों में पानी और बिजली की निरंतर आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा, साबुन डिस्पेंसर, शीशे, टॉयलेट पेपर, हैंड ड्रायर, सैनिटरी डिस्पोज़ल डस्टबिन, बेसिन, सामान्य डस्टबिन और एग़जॉस्ट पंखे भी उपलब्ध कराए जाएँगे। जहाँ तक 'भुगतान करें और उपयोग करें' सुविधाओं का प्रश्न है, सैनिटरी नैपकिन और टैम्पोन भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराए जाएँगे या वैकल्पिक रूप से, इनके लिए एक डिस्पेंसर भी लगाया जा सकता है।

(ix) शौचालयों को साफ रखने के लिए आवश्यक झाड़ू लगाने, पोंछने, मूत्रालय कीटाणुनाशक, फिनाइल, नेफ़थलीन बॉल्स आदि सभी स्वच्छता सामग्री प्रत्येक शौचालय में महिला परिचारिका को उपलब्ध कराई जाएगी। इन सामग्रियों के भंडारण की व्यवस्था की जाएगी।

(x) शौचालयों के उचित उपयोग के निर्देश (संकेत) आलंकारिक और लिखित रूप में प्रदर्शित किए जाएँगे। दृश्य या आलंकारिक प्रदर्शन उपयोगकर्ताओं को शौचालयों का उचित तरीके से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करेगा, जैसे, उपयोग के बाद शौचालय को फ्लश करें; सैनिटरी नैपकिन/टैम्पोन को सैनिटरी हाइजीनिक कूड़ेदान में डालें; शौचालय की सीट को साफ और सूखा रखें; उपयोग के बाद साबुन से हाथ धोएँ; हैंड ड्रायर या पेपर टॉवल का उपयोग करें; कागज़ को कूड़ेदान में डालें, आदि। उक्त दृश्य/आलंकारिक प्रदर्शन और लेखन आकार, रंग, लोगो, फ़ॉन्ट आदि में मानकीकृत होंगे।

(xi) प्रत्येक शौचालय में एक महिला परिचारिका तैनात की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शौचालय स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रहें। शौचालयों की सुरक्षा वर्दीधारी एक प्रशिक्षित महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा की जाएगी जो चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी।

(xii) शौचालयों की सफाई का समय और आवृत्ति भीड़ के प्रवाह के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार, आवृत्ति उस क्षेत्र और मोहल्ले पर निर्भर करेगी जहाँ ये शौचालय स्थित हैं। शौचालयों की सफाई उपयोग के आधार पर कम से कम हर 1-2 घंटे में की जानी चाहिए। शौचालय की सफाई का समय प्रदर्शित

किया जाना चाहिए। महिला परिचारिका यह सुनिश्चित करेगी कि शौचालयों के फर्श हर समय साफ और सूखे रहें।

(xiii) निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रत्येक शौचालय में एक महिला केयरटेकर/अटेंडेंट हो और नियुक्त की गई महिला अटेंडेंट/केयरटेकर कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित हो। महिला केयरटेकर/अटेंडेंट/सुरक्षा प्रभारी को अधिमानतः वर्दी में होना चाहिए और उसे स्थानीय प्राधिकारी के नाम और मुहर वाला एक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा, ताकि उसकी पहचान की जा सके।

(xiv) निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन एक निरीक्षण कार्ड प्रदर्शित किया जाए जिसका उपयोग शौचालयों के दैनिक रखरखाव के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए किया जा सके।

(xv) प्रत्येक शौचालय पर उपयोगकर्ताओं की संख्या तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए भुगतान का रिकार्ड रखने के लिए एक रजिस्टर या बिलिंग प्रणाली रखी जाएगी।

(xvi) निगम न केवल शौचालयों की आंतरिक स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे, बल्कि परिधीय क्षेत्रों, यानी शौचालय के आसपास भी स्वच्छता बनाए रखेंगे। निगमों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शौचालयों के बाहर का क्षेत्र अच्छी तरह से प्रकाशित हो, ताकि शौचालयों का उपयोग करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि संभव हो, तो निगम शौचालयों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार कर सकते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता से समझौता किए बिना, शरारती तत्वों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

(xvii) निगम शौचालयों के रखरखाव और सफाई का कार्य किसी हाउसकीपिंग कंपनी को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। गठित समिति, तय की गई व्यापक योजना/योजना के कार्यान्वयन में या उपलब्ध कराए गए शौचालयों और सुविधाओं के रखरखाव में घोर विफलताओं के लिए उत्तरदायित्व/जवाबदेही तय करेगी।

(xviii) प्रमुख मुख्य मार्गों पर, जहाँ शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, उनके निकट स्पष्ट संकेत प्रदर्शित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये संकेत आसानी से दिखाई दें और इनका आकार, रंग, लोगो मानकीकृत हो और रात के किसी भी समय इन्हें पहचाना जा सके, इसके लिए फ्लोरोसेंट प्रकाश का प्रयोग किया जाए।

(xix) सभी नगर निगम निर्मित किए जाने वाले 'पे एंड यूज़' शौचालयों के लिए शुल्क तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, निगमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शुल्क उचित हों और अत्यधिक न हों, ताकि महिलाओं को उनका उपयोग करने से रोका जा सके।

(xx) निगम जहां संभव हो, ऐसे शौचालय 24x7 उपलब्ध कराएंगे या यदि यह संभव न हो तो सुबह से रात तक उपलब्ध कराएंगे।

(xxi) शौचालय के कार्य समय और उपयोगकर्ता शुल्क ऐसे शौचालयों के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

(xxii) सभी निगम ऐसे शौचालयों के निरीक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगे। समिति का कोई भी सदस्य, अर्थात् गैर-सरकारी संगठन की महिला सदस्य/महिला पार्षद/नागरिक पदाधिकारी/समिति सदस्य, नियमित अंतराल पर ऐसे शौचालयों का नियमित निरीक्षण/औचक निरीक्षण करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्मित शौचालय स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हैं और सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। निगम,

शौचालयों की स्थिति की निगरानी के लिए उप-समिति को उत्तरदायी बनाकर, अधिकारियों, नागरिकों और गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों वाली वार्ड स्तरीय उप-समितियाँ गठित कर सकते हैं।

(xxiii) प्रत्येक निगम द्वारा एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय में एक टेलीफोन नंबर/वेबसाइट प्रदर्शित की जाएगी जहाँ शौचालय उपयोगकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे/करा सकेंगे/तस्वीरें अपलोड कर सकेंगे, ताकि उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके, जैसे कि यदि शौचालय गंदा है, फ्लश काम नहीं कर रहा है, कुंडी टूटी है, लीकेज है, आदि। शिकायतें निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जाएँगी: (क) निर्दिष्ट केंद्रों पर लिखित शिकायतें; (ख) समर्पित टोल-फ्री नंबर/नंबरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतें; (ग) समर्पित वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त शिकायतें; और (घ) मोबाइल फोन के माध्यम से टेक्स्ट संदेश द्वारा प्राप्त शिकायतें।

समिति अपनी योजना में समय-सीमा निर्धारित करेगी जिसके भीतर स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिकायत का समाधान किया जाएगा।

इसके अलावा, किसी भी खतरे/आपात स्थिति के लिए एक आपातकालीन नंबर भी प्रदर्शित किया जाएगा। एक आपातकालीन घंटी भी उपलब्ध कराई जा सकती है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता आपात स्थिति में कर सकते हैं।

(xxiv) प्राप्त शिकायतों के आधार पर निगम द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रखने के लिए नागरिकों के लिए ट्रेकिंग प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी।

(xxv) सभी निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे शौचालयों के बाहरी या आंतरिक भाग में कोई विकृति न हो।

(xxvi) जब नए शौचालयों का निर्माण किया जाता है, तो निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि शौचालय विकलांगों की आवश्यकताओं को पूरा करें और जहां तक संभव हो, प्रत्येक इकाई में एक ऐसा शौचालय हो।

(xxvii) निगमों को अपनी योजना तैयार करते समय ऐसे शौचालयों के निर्माण हेतु दीर्घकालिक योजना तैयार करनी होगी और प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। नियमित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऐसे शौचालयों के निर्माण के लिए आवंटित बजट, विभिन्न सामग्रियों, फिक्स्चर आदि की लागत के साथ किए गए व्यय का विवरण शामिल होना चाहिए। नए शौचालयों का निर्माण पूरा होने के बाद, रखरखाव, मरम्मत, सुरक्षा कर्मियों और हाउसकीपिंग कंपनियों को भुगतान पर व्यय की गई धनराशि के संबंध में समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(xxviii) समिति अपनी योजना में, शौचालयों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखने में विफलता के लिए जवाबदेही हेतु एक तंत्र तैयार करेगी। समिति अपनी योजना में, स्वच्छता और स्वास्थ्यकरता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने वाले शौचालयों के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार भी शुरू कर सकती है।

(xxix) निगमों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे शौचालयों के निर्माण के लिए स्वीकृत बजटीय प्रावधान समाप्त न हों। निगम ऐसे शौचालयों के निर्माण और रखरखाव में कंपनियों को शामिल करने का प्रयास करेंगे और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)/सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत ऐसी कंपनियों की भागीदारी के साथ एक अलग योजना तैयार कर सकते हैं।

(xxx) निगम शौचालयों के स्थानों तथा सुविधाओं को इंटरनेट सेवाओं पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जिससे सभी महिलाओं तथा महिला पर्यटकों को शौचालयों के सटीक स्थान तथा दिशा-निर्देशों के संबंध में सहायता मिलेगी।

(xxxi) नगर निगम सभी प्रमुख समाचार पत्रों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों के प्रावधान का बार-बार व्यापक प्रचार करेंगे।

16. राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव से इस याचिका में शामिल मुद्दे पर राज्य और केंद्र द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के बारे में रिपोर्ट तलब की जाए।

17. यह न्यायालय अधिवक्ता सुश्री राधिका महरवाल, सुश्री सुप्रिया सक्सेना, सुश्री सारा शर्मा; अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री माही यादव; और भारत संघ की स्थायी अधिवक्ता सुश्री मंजीत कौर से अनुरोध करता है कि वे इस याचिका से संबंधित मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करें। संबंधित अधिवक्ताओं और उनके सहयोगियों के नाम वाद शीर्षक में दर्शाए जाएँ।

18. राज्य एवं भारत संघ के अलावा अन्य अधिवक्ताओं को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (आर.एस.एल.एस.ए.) द्वारा नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

19. इस आदेश की एक प्रति प्रतिवादियों, आर.एस.एल.एस.ए. और सभी संबंधित वकीलों को आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए।

20. अगली सुनवाई की तारीख पर प्रतिवादियों को उचित निर्देश जारी किए जाएँगे।

07.01.2025 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

(अनूप कुमार ढांड),जे

करण/

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

**Tarun Mehra****Advocate**